न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 65/2021

1 मोटाराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी भैरूपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 निहाल सिंह पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 चुन्नीलाल पुत्र गोविन्दाराम।
3 सुनिता पत्नी ओमप्रकाश।
4 हरलाल पुत्र लक्ष्मण।
5 बीरबल पुत्र लक्ष्मण समस्त जाति जाट निवासीगण भैरूपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्णमगढ़ पत्रावली उनवानी मोटारा बनाम निहाल सिंह वगैरह आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट मुकदमा नम्बर 26/2020 निर्णय दिनांक 09.09.2021 पीठासीन अधिकारी डॉ. कुलराज मीणा।

उपस्थिति :

1. श्री भीमसिंह रूहेला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामदेव सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री भानूप्रकाश यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 14-1-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 26/2020 में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर स्वंय की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 191 वाके ग्राम भैरूपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2021 को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी किया था। पत्रावली में गिरदावर व पटवारी हल्का की भिन्न–भिन्न रिपोर्ट है। रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय में दावे व टी. आई. का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया के विचाराधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारो के मध्य सीमा को लेकर विवाद है। इस हेतु पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जा चुके है। अपीलांट पत्थरगढ़ी से बचना चाहता है। प्रकरण को लम्बित करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2021 को एकपक्षीय स्थगन जारी किया गया था। रेस्पोडेंट द्वारा सम्पूर्ण तथ्य विचारण न्यायालय के संज्ञान में लाये जाने पर उभयपक्ष को सुनकर विधिक रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारो के मध्य सीमा को लेकर विवाद है। इस हेतु पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जा चुके है। अपीलांट पत्थरगढ़ी से बचना चाहता है। प्रकरण को लम्बित करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2021 को एकपक्षीय स्थगन जारी किया गया था। रेस्पोडेंट द्वारा सम्पूर्ण तथ्य विचारण न्यायालय के संज्ञान में लाये जाने पर उभयपक्ष को सुनकर विधिक रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14-10-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर